निर्णय ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस॰ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 146/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. छोटूराम पुत्र राधेश्याम
2. श्रीमती छोटा पत्नी राधेश्याम
3. मन्नालाल पुत्र राधेश्याम
4. मोती पुत्री राधेश्याम
5. रामकिशेर पुत्र राधेश्याम
6. रामस्वरूप पुत्र राधेश्याम
7. लाली पुत्र राधेश्याम

समस्त जाति माली निवासी ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री हिम्मत सिंह आर॰ए॰एस॰ उपखण्ड अधिकारी जयपुर, द्वितीय, जिला जयपुर ।
2. कमलेश पुत्र बद्री जाति माली निवासी ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।
3. काली देवी पुत्री भूरा जाति माली निवासी ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।
4. गोपाल पुत्र माधो जाति माली निवासी ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।
5. गोरव सिंह पुत्र विष्णु सिंह जाति राजपूत निवासी म॰ नं॰ 2750 पुरवियों का मोहल्ला, खजाने वालों का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर।
6. चमेली देवी पुत्री जगदीश जाति माली निवासी वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।
7. छोटू पुत्र माधो जाति माली निवासी ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।
8. प्रहलाद पूत्र भूरा जाति माली निवासी ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।
9. बाबूलाल पुत्र जगदीश जाति माली निवासी ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।
10. बाबूलाल चौधरी पुत्र कैलाश चन्द चौधरी जाति जाट, निवासी हरनाथ बाबा की ढाणी, ग्राम जोतडावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
11. महेश मीणा पुत्र नेनूराम मीणा निवासी नांगल पूरण, तहसील चाकसू, जिला जयपुर ।
12. श्रीमती मीरा देवी पत्नी ब्रदी जाति माली निवासी ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।
13. रूपनारायण पुत्र भूरा जाति माली निवासी ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।
14. रमेश पुत्र बद्री जाति माली निवासी ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।
15. रामफूल पुत्र माधो जाति माली निवासी ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।
16. श्रवण पुत्र माधो जाति माली निवासी ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।
17. हीरा देवी पुत्री जगदीश जाति माली निवासी ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, जिला जयपुर ।
19. उप पंजीयक सांगानेर–प्रथम, जिला जयपुर।

जिला कलक्टर
जयपुर

अप्रार्थीगण

Scanned with OKEN Scanner

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 24 व धारा 135 भू राजस्व अधिनियम बाबत उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 252/2024 ब उनवानी छोटूराम व अन्य बनाम कमलेश व अन्य ।.

उपस्थितः—

1. श्री दिनेश कुमार सैन अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री विरेन्द्र सिंह शेखावत अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 10 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 09.01.2025

संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष प्रकरण संख्या 252/2024 मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र ब उनवानी छोटूराम व अन्य बनाम कमलेश व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 10 की ओर से अधिवक्ता श्री विरेन्द्र सिंह शेखावत ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण में दिनांक 23.09.2024 को अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 17 द्वारा बिना विधिक विभाजन हुये वादग्रस्त कृषि भूमि को विक्रय करने की धमकी देने व उस पर निर्माण कर प्रार्थीगण के कब्जे की जगह अन्य व्यक्तियों को काबिज करवा देने की धमकी दिये जाने पर व मौके पर निर्माण कार्य शुरू कर दिये जाने से प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा बाबत तकास्मा व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर दिनांक 09.10.2024 को प्रार्थीगण के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किया गया उसके उपरान्त भी अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर निर्माण कार्य करने पर आमादा हो रहे है। दिनांक 15.11.2024 को अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर आकर व साथ में 8–10 व्यक्तियों को साथ लेकर मौके पर कब्जा करवाने लगे, तो प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि पर स्टे होने की बात बताई तथा उक्त स्टे की प्रति दिखाई, लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा एलानिया धमकी दी कि उक्त स्टे को हम नहीं मानते है तथा उक्त स्टे से आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, न्यायालय के ऐसे आदेश हमने बहुत देखे है अगली तारीख पेशी पर स्टे भी खारिज हो जायेगा। हमने उपखण्ड अधिकारी से बात कर ली, जिससे उक्त मुकदमें का फैसला आगामी तारीख पेशी पर हमारे पक्ष में करवा लेंगे, आपको जो करना हो वह कर लेना। आगामी तारीख पेशी पर आपका स्टे खारिज हो जायेगा । उक्त वाद को सुनकर प्रार्थीगण काफी

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

हैरान व परेशान है क्योंकि उक्त अप्रार्थीगण भू माफिया व्यक्ति है तथा धनबल व भुजबल में काफी शक्ति शाली एवं ऊंची राजनैतिक पहुंच रखने वाले व्यक्ति है जिससे प्रार्थीगण को पूर्ण सम्भावना है कि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी व कर्मचारी अप्रार्थीगण के पक्ष में उक्त वाद का निर्णय करने पर आमादा है एवं प्रार्थीगण को उक्त न्यायालय से न्याय मिलने की कतई सम्भावना नहीं है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 10 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी ने दिनांक 09.10.2024 को अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी से अपने पक्ष में स्थगन प्राप्त कर रखा है और प्रार्थी ने ही अब पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी येनकेन प्रकारेण प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करना चाहता है। इस कारण प्रार्थी ने काल्पनिक एवं मनघढन्त आरोप लगाते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। जबकि पीठासीन अधिकारी द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 09.10.2024 से स्थगन जारी किया हुआ है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 09.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner